No.A.35017/1/2011-Admn.II
Union Public Service Commission
Dholpur House, Shahjahan Road,
New Delhi-110069

Date: 06/06/2011

VACANCY CIRCULAR

Sub: Filling up the post of Finance and Budget Officer in Pay Band-3 (Rs. 15600-39100) and Grade Pay of Rs. 6600/- (scale of pay of Rs. 10000-325-15200/-pre-revised) in the office of UPSC on deputation basis.

It is proposed to fill up one vacancy of Finance and Budget Officer (General Central Service, Group "A" Gazetted, Non-ministerial) in Pay Band-3 (Rs. 15600-39100) and Grade Pay of Rs. 6600/- (scale of pay of Rs. 10000-325-15200/-pre-revised) in the office of UPSC on deputation basis as per the details given below:-

(I) <u>Field of Selection and Eligibility Conditions</u> : -

The field of selection and the eligibility conditions prescribed for deputation are as under: -

Officers from any of the following Organized Accounts Services or Departments, namely:-

(i) Indian Audit and Accounts Service;
(ii) Indian Civil Accounts Service;
(iii) Indian Cost Accounts Service;
(iv) Indian Defence Accounts Service;
(v) Post and Telegraph Accounts and Finance Service;
(vi) Indian Railway Accounts Service;
(vii) Controller General of Defence Accounts under Ministry of Defence;
(viii) Controller General of Accounts under Ministry of Finance;
(ix) Officers under Accounts and Finance Wings of Department of Posts and Telecommunications;
(x) The Indian Audit and Accounts Department under the Comptroller and Auditor General, or
(xi) Any other equivalent Accounts Service of the Central Government,

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
(b) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-3 (Rs.15600-39100) or Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) with Grade Pay of Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre or department; or
(c) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) with Grade Pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or department.

<u>Note</u>: For the purpose of computing minimum qualifying service for appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 that is the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

contd..p-2/-

(II) Consultations with Union Public Service Commission:-

Consultations with Union Public Service Commission necessary

(III) Regulation of pay and other terms of deputation : -

The pay and other terms of deputation will be regulated under the provisions contained in the Deptt. of Personnel & Training O.M. No. 2/29/91-Estt. (Pay-II) dated 05.01.1994 as amended from time to time.

(IV) Age-limit

The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 (fifty six) years as on the closing date of receipt of applications.

(V) Nature of duties:-

1. To present bills to the Pay and Accounts Officer in respect of payments made in Commission's office and act as Drawing and Disbursing officer.
2. To arrange audit in respect of receipts and expenditure in Commission's office.
3. To arrange for the preparation of Budget and all expenditure statements connected with Budget work.
4. To arrange for submission of monthly statements of expenditure and liability to the Department of Personnel and training and submission of quarterly statement of pay and allowances.
5. To arrange for the final payment in respect of persons retired/ deceased/ resigned after obtaining no demand certificates from all concerned.
6. To arrange for payment by cheque of TA and honorarium bills to advisors. Recouping the permanent advance by arranging for deposition of cheque in the Bank of Maharashtra.
7. To arrange for the receipt of cash receipts for adviser's suites, Reception and Earnest money from contracts.
8. To arrange spot payments in cash to the candidates summoned by the Commission to appear before the personality test Boards.
9. To arrange payments to the retired Chairman/ Members of the Public Service Commission who are appointed to preside over the ad-hoc boards.
10. To arrange payments to the supervisors appointed to conduct the various examinations held by the Commission.
11. To arrange accountal of the examination fees realized from the candidates appearing in the various examinations held by the commission.
12. To arrange refund of fees realized from candidates where Commission sanction refunds.

(VI) Period of deputation :

The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization/department of the Central Govt. shall not ordinarily exceed three years.

contd..p-3/-

2. Application along with Bio-data (in duplicate) in the prescribed proforma (Annexure-I) of the eligible candidates whose services can be spared immediately on selection, together with the certificate from the forwarding Authority (in proforma Annexure-II) along with the following documents :

(i) Integrity certificate
(ii) List of major/ minor penalties imposed if any, on the official during the last 10 years; (if no penalty has been imposed a 'nil' certificate should be enclosed).
(iii) Vigilance clearance certificate.
(iv) Attested photocopies of the ACRs for the last five years i.e. wef. 2006-2007 to 2010-2011. (attested on each page by an officer not below the rank of an Under Secretary to the Govt. of India).

may be forwarded to Shri K.M.Sasidharan, Under Secretary (Admn.), Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi-110069 within 60 days of publication of this advertisement in the Employment News/ Rozgar Samachar. Applications not forwarded through proper channel or those received without the requisite certificates and necessary documents will not be entertained.

3. The candidates who apply for the post will not be allowed to withdraw their candidature subsequently.

-Sd-
(K.M. SASIDHARAN)
Under Secretary (Admn.)

To

1. All Ministries/Departments of Govt. of India (as per list attached).

2. All cadre controlling authorities of the Organised Accounts Services (as per the list enclosed) with the request that the vacancy may please be given wide circulation.

3. Shri Jitendra Singh, Joint Director (Advertising), DAVP, Ministry of Information and Broadcasting, 10th Floor, Soochana Bhavan, Phase-IV, C.G.O Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 ---with a request to publish this circular in the ensuing issue of Employment News/Rozgar Samachar.

4. Hindi-III Section--- with the request that soft copy and hard copy of the Hindi version may be forwarded for onward transmission to web Cell.

5. Web Cell, UPSC

Contd…p-5/-

APPLICATION FOR THE POST OF FINANCE AND BUDGET OFFICER ON DEPUTATION BASIS IN THE OFFICE OF THE UPSC.

BIO-DATA PRO FORMA

1. Name and address in Block Letters :
2. Date of Birth (in Christian Era) :
3. Date of retirement under Central Govt. Rules. :
4. Educational qualifications. :
5. Whether educational and other qualifications required for the post are satisfied. (If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the rules, state the authority for the same. :

Qualifications/ Experience required	Qualifications/ Experience possessed By the officer
(1)	
(2)	
(3)	

6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirements of the post. :

7. Details of employment, in chronological order. (starting from entry in Central Government service). Enclose a separate sheet, duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.

Office/ Instt./ Org.	Post held from	Period of Service	Pay in Pay Band	Grade Pay	Basic Pay	Pay scale (in pre-revised)	Duties
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

Contd…p-6/-

8. Nature of present employment, i.e ad-hoc or Temporary or permanent :

9. In case the present employment is held on deputation please state; -

   (a) The date of initial appointment :

   (b) Period of appointment on deputation:

   (c) Name of parent office/Organization to : Which you belong.

10. Are you in revised scale of pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre- revised scale :

11. Total emoluments per month now drawn .

12. Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post. (Enclose a separate sheet if the space is insufficient)

13. Full address of forwarding authority with telephone number

14. Whether belongs to SC/ST :

15. Remarks :

Date:

Signature of the candidate
Full office address,
contact number & E-Mail ID

Annexure-II

(CERTIFICATE TO BE FURNISHED BY THE EMPLOYER/HEAD OF OFFICE/FORWARDING AUTHORITY)

Certified that the particulars furnished by ____ are correct and he/she possesses educational qualifications and experience mentioned in the vacancy circular.

2. Also certified that;-

(i) There is no vigilance or disciplinary case pending/contemplated against Shri/Smt.__________________________

(ii) His/Her integrity is certified.

(iii) His/Her CR Dossier in original is enclosed/ photocopies of the ACRs for the last 5 years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary to the Govt. of India or above, are enclosed.

(iv) *No major/minor penalty has been imposed on him/her during the last 10 years*

(v) A list of major/minor penalties imposed on him/her during the last 10 years is enclosed.*

Signature_____________

Designation_______________

Office Seal with contact number ______________

____

Place:

Dated:
List of enclosure:

*Strike out which is not applicable.

सं0ए0 35017/1/2011-प्रशा02

संघ लोक सेवा आयोग

धौलपुर हाउस,शाहजहां रोड

नई दिल्ली-110069

दिनांक:06/06/2011

रिक्ति परिपत्र

विषय:- संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में पे बैण्ड-3 में (रू0 15600-39100) तथा ग्रेड पे0 6600/-रू0 (संशोधन पूर्व वेतनमान 10,000-325-15,200) में प्रतिनियुक्ति के आधार पर वित्त एवं बजट अधिकारी के पद को भरे जाने के संबंध में ।

संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में पी बी-3 (रू0 15600-39100) तथा ग्रेड पे0 6600/-रू0 (संशोधन पूर्व वेतनमान 10,000-325-15,200)में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वित्त एवं बजट अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप "क" राजपत्रित अननुसचिवीय) के एक पद को भरे जाने का प्रस्ताव है ।

चयन का क्षेत्र तथा पात्रता की शर्तें :-

प्रतिनियुक्त के लिए विनिर्धारित चयन का क्षेत्र तथा पात्रता की शर्तें निम्नानुसार हैं :-

निम्नलिखित संगठित लेखा सेवाओं या विभागों के अधिकारी नामत :-

(i) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा ;
(ii) भारतीय सिविल लेखा सेवा ;
(iii) भारतीय लागत लेखा सेवा ;
(iv) भारतीय रक्षा लेखा सेवा ;
(v) डाक एवं टेलीग्राफ लेखा एवं वित्त सेवा ;
(vi) भारतीय रेल लेखा सेवा ;
(vii) रक्षा लेखा महानियंत्रक, रक्षा मंत्रालय ;
(viii) लेखा महानियंत्रक , वित्त मंत्रालय ;
(ix) डाक एवं संचार विभाग के अंतर्गत लेखा और वित्त स्कंध के अधिकारी ;
(x) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के तहत भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, अथवा ;
(xi) केन्द्रीय सरकार की कोई अन्य समकक्ष लेखा सेवा ;

(क) जो नियमित आधार पर मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद पर कार्यरत हों; अथवा

(ख) जिन्होनें पे बैण्ड 3 (रू0 15600-39100) के पदों में अथवा पे बैण्ड 2 (रू0 9300-34800) तथा 5400 के ग्रेड वेतन वाले या समकक्ष पदों पर मौजूदा संवर्ग या विभाग में नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा नियमित आधार पर की हो ।

(ग) जिन्होनें मौजूदा संवर्ग या विभाग पे बैण्ड 2 (□□0 9300-34800) तथा 4800 के ग्रेड वेतन वाले या समकक्ष पदों पर मूल संवर्ग या विभाग में नियुक्ति के बाद छ: वर्ष की सेवा नियमित आधार पर की हो अथवा

क्रमश:2/-

टिप्पणी:- प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य हेतु, वर्ष 2006 की पहली जनवरी/उस तारीख से पूर्व, जब से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचा विस्तारित किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिश पर आधारित तदनुरूप ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा मानी जाएगी, सिवाए उन मामलों के जिनमें एक से अधिक संशोधन - पूर्व वेतनमान का, कॉमन ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक ग्रेड में आमेलन हो गया हो, और जहां यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए होगा, जिनके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान, बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

II. **संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श**

संघ लोक सेवा के साथ परामर्श आवश्यक है

III. <u>वेतन का विनियमन और प्रतिनियुक्ति की अन्य शर्तें :-</u>

चुने गए उम्मीदवार का वेतन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5.1.1994 **के समय-समय पर यथासंशोधित का0ज्ञा0सं0** 2/29/91-**स्था.(वेतन-**II) **में निहित उपबंधों के अधीन विनियमित किया जाएगा ।**

IV. <u>आयु-सीमा</u>

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

V. <u>कार्यों की प्रकृति</u>

1. आयोग कार्यालय में भुगतान के संबंध में वेतन और लेखा अधिकारी को बिल प्रस्तुत करना तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्य करना ।
2. आयोग कार्यालय में पावतियों और व्यय के संबंध में लेखा परीक्षा की व्यवस्था करना ।
3. बजट की तैयारी तथा बजट कार्य से संबद्ध सभी व्यय विवरण की व्यवस्था करना ।
4. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को प्रस्तुत करने हेतु व्यय तथा देयता संबंधी मासिक विवरण तथा वेतन और भत्तों की तिमाही विवरण प्रस्तुत करने हेतु व्यवस्था करना ।
5. सेवानिवृत्त/ मृत/ इस्तीफा देने वाले व्यक्तियों के संबंध में सभी संबंधितों में कोई मांग नहीं प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अंतिम भुगतान के लिए व्यवस्था करना ।
6. सलाहकारों को यात्रा भत्ता और मानदेय बिलों का चेक द्वारा भुगतान की व्यवस्था करना । बैंक ऑफ महाराष्ट्र में चेक जमा करने की व्यवस्था कर स्थायी अग्रिम की प्रतिपूर्ति करना ।
7. सलाहकार कक्ष और स्वागत कक्ष हेतु नकद रसीदें तथा संविदाओं से प्राप्त अग्रिम धन की पावतियों के लिए व्यवस्था करना ।
8. व्यक्तित्व परीक्षण बोर्डों के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए आयोग द्वारा बुलाए गए उम्मीदवारों को स्थल पर भुगतान की व्यवस्था करना ।

9. तदर्थ बोर्डों की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त लोक सेवा आयोगों के सेवानिवृत्त अध्यक्ष / सदस्यों के भुगतान की व्यवस्था करना ।

10. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के आयोग के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों के भुगतान की व्यवस्था करना ।

11. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों से प्राप्त परीक्षा शुल्क के लेखे जोखे की व्यवस्था करना ।

12. उम्मीदवारों से प्राप्त शुल्क की वापसी, जहां आयोग द्वारा शुल्क वापसी स्वीकृत हो, की व्यवस्था करना 1

VI. <u>प्रतिनियुक्ति की अवधि :</u>

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल-पूर्व धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद की प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

2. पात्र उम्मीदवारों के जीवन वृत्त के साथ आवेदन पत्र (दो प्रतियों में), जिन्हें चयन होने पर तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता है , निर्धारित प्रोफार्मा (अनुबंध-।) में निम्नलिखित दस्तावेज़ों के साथ, अग्रेषण प्राधिकारी के प्रमाण- पत्र (अनुबंध-।। में दिए गए प्रपत्र में) सहित इस परिपत्र के इम्पलायमेंट न्यूज़ @ रोजगार समाचार में प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर, श्री के. एस. शशिधरन , अवर सचिव (प्रशा0), संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 को अग्रेषित कर दिए जाएं । उचित माध्यम से तथा अपेक्षित प्रमाण-पत्रों तथा आवश्यक दस्तावेज़ों के बिना भेजे गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा:

(I) सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र ।

(I) अधिकारी पर पिछले 10 वर्षों के दौरान लगाई गई किन्हीं बड़ी / छोटी शास्तियों की सूची (यदि कोई शास्ति नहीं लगाई गई है तो ‘ शून्य ’ प्रमाण - पत्र संलग्न किया जाए)

(त्त्त्) सतर्कता निर्बाधन प्रमाणपत्र ।

(iv) पिछले 5 वर्षों (2006 - 07 से 2010 - 11) की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की अनुप्रमाणित फोटोप्रतियां (भारत सरकार के कम से कम अवर सचिव स्तर के किसी अधिकारी द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत अनुप्रमाणित) ।

3. उन उम्मीदवारों को , जो पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, बाद में उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(के. एम. शशिधरन)

अवर सचिव (प्रशा0)

संघ लोक सेवा आयोग

क्रमश:4/-

<u>प्रति प्रेषित :-</u>

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग (संलग्न सूची के अनुसार)
2. संगठित लेखा सेवाओं के सभी नियंत्रक प्राधिकारियों (संलग्न सूची के अनुसार)
   को इस अनुरोध के साथ की वे कृपया रिक्ति को व्यापक स्तर पर परिचालित करें ।
3. श्री जितेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक (विज्ञापन), विज्ञापन और दृश्य-प्रचार निदेशालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, 10 वीं मंजिल, सूचना भवन, फेज़–IV, सी जी ओ कॉम्पलेक्स , लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को इम्पलायमेंट न्यूज़ / रोजगार समाचार के आगामी अंक में प्रकाशित करें ।
4. वेब सेल, संघ लोक सेवा आयोग ।

(के. एम. शशिधरन)

अवर सचिव (प्रशा0)
संघ लोक सेवा आयोग

क्रमश:5/-

<u>अनुबंध-I</u>

<u>संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर वित्त एवं बजट अधिकारी के पद के लिए आवेदन का प्रपत्र :</u>

<u>जीवनवृत्त प्रपत्र</u>

1. नाम तथा डाक का पता :

2. जन्म तिथि (ईस्वी सन् में) :

3. केन्द्रीय सरकार के नियमों के अधीन सेवानिवृत्ति की तारीख :

4. शैक्षिक योग्यताएं :

5. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं पूरी करते हैं (यदि कोई योग्यता नियमों में निर्धारित किसी भी योग्यता के समकक्ष है तो उसके लिए प्राधिकारी दर्शाएं)

अपेक्षित योग्यताएं/अनुभव	**अधिकारी की योग्यताएं/अनुभव**
(1)	
(2)	
(3)	

6. कृपया स्पष्ट दर्शाएं कि क्या उपर्युक्त में, आप द्वारा भरी गई प्रविष्टियों के आलोक में, आप पद की अपेक्षाएं पूरी करते हैं ।

7. रोज़गार का कालक्रमानुसार ब्यौरा (केन्द्रीय सरकार की सेवा में प्रवेश से आरंभ करते हुए) यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हो, तो अलग से एक पत्रक जोड़ें, जो आपके हस्ताक्षर द्वारा विधिवत् प्रमाणित हो ।

कार्यालय/ संगठन/ संस्थान	पद धारण करने की तारीख	सेवा की अवधि	पी बी में वेतन	ग्रेड पे	मूल वेतन	मूल वेतन (संशोधन पूर्व)	ड्यूटीज
1	2	3	4	5	6	7	8

8. वर्तमान रोज़गार का स्वरूप अर्थात् तदर्थ या अस्थायी या स्थायी :

9. यदि वर्तमान रोज़गार प्रतिनियुक्ति आधार पर है, तो कृपया बताएं :

(क) आरंभिक नियुक्ति की तारीख :

(ख) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अवधि :

(ग) अपने मूल कार्यालय / संगठन का नाम, जिससे आप संबंधित हैं :

क्रमशः6 /-

10. क्या आप संशोधित वेतनमान ले रहे हैं ? यदि हां, तो वेतनमान संशोधित होने की तारीख तथा संशोधन-पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें । :

11. अब प्राप्त की जा रही कुल मासिक परिलब्धियां :

12. **ऐसी अतिरिक्त जानकारी,यदि कोई हो, जिसका उल्लेख आप इस पद हेतु अपनी उपयुक्तता के समर्थन में करना चाहते हैं । (यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हो, तो अलग से एक पत्रक संलग्न करें ।)**

13. अग्रेषण प्राधिकारी के नाम और टेलीफोन नं0 सहित पूरा डाक पता :

14. क्या आप अ0जा0/अ0ज0जा0 से संबंधित हैं ?

15. अभ्युक्तियां

आवेदक के हस्ताक्षर--------------

कार्यालय का पूरा पता-------------

संपर्क का फोन नं0 और ई मेल आई डी

दिनांक:

क्रमश:7/

<u>अनुबंध-II</u>

(नियोक्ता / कार्यालय अध्यक्ष / अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती / कुमारी------------------------------------
द्वारा दिया गया विवरण सही है और वे इस रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षिक योग्यताएं तथा अनुभव रखते/रखती हैं ।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:-

(i) श्री/श्रीमती------------------------------ के विरूद्ध कोई सतर्कता मामला लंबित/अवेक्षित नहीं है ।

(ii) उनकी सत्यनिष्ठा असंदिग्ध है ।

(iii) उनका पूर्ण गोपनीय रिपोर्ट डोजियर मूल रूप में संलग्न है / भारत सरकार के कम से कम अवर सचिव स्तर के या उनसे उच्च स्तर के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित पिछले 5 **वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की फोटो प्रतियां संलग्न हैं ।**

(iv)* **पिछले १० वर्षों के दौरान उन पर कोइ बडी/छोटी शास्ति नहीं लगाई गई है।**

(v) पिछले १० वर्षों के दौरान उन पर लगाई गई कोइ बडी/छोटी शास्तियों कि सूची ।

हस्ताक्षर------------------------

पदनाम--------------------------

संपर्क फोन नं0 सहित कार्यालय मुहर --------------

स्थान :

दिनांक :

अनुलग्नकों की सूची :

*जो लागू न हो उसे काट दें ।